राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2085 / 2014

गुमान सिंह जैन

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, भीलवाड़ा।
3. विकास अधिकारी जरिये, पंचायत समिति, आसिंद।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने एएओ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2014 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी के संबंध में निम्न प्रकार से टिप्पणी अंकित की गई है:–

> ''कार्मिक का 01.04.2009 से 30.04.2009 तक का दोहरी सेवा का सत्यापन किया गया है। अतः सेवा सत्यापन सही कराये। यदि अधिक वेतन भुगतान किया गया हो तो वसूली कर चालान प्रति सलंग्न करें। (बी.आर.सी.एफ. एवं बी.ई.ई.ओ. दोनों के द्वारा) कार्मिक के 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने से नियमानुसार एसीपी देय नहीं है। अतः तीसरी संतान की प्रविष्ठि सर्विस बुक में करा कार्यालाय को अवगत कराये।
>
> हस्ताक्षर,एएओ
>
> 25.08.2014''

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के तीसरी संतान होने के कारण अपीलार्थी को एसीपी से वंचित रखा गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 जारी की गई है। उसके अनुसार दो से अधिक संतान होने पर भी कार्मिक को एसीपी / पदोन्नति का लाभ दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये कथन के अनुसार यह अपील इस प्रकार से निस्तारित की जाती है कि प्रत्यर्थी विभाग कार्मिक विभाग,

राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के आलोक में अपीलार्थी के संबंध में पुनः विचार कर उचित आदेश पारित करें। प्रत्यर्थी विभाग को इस हेतु दो माह का अवसर प्रदान किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)